सं.-11/(15)/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(2)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल 'बी' विंग, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 28 अक्टूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: (i) ऐसा सरकारी कर्मचारी जो किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण पेंशन प्ररूप जमा करने की स्थिति में नहीं है, और (ii) ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्ररूप

जमा किए बिना हो जाती है, की बाबत पेंशन/कुटुंब पेंशन के प्राधिकृत करने की प्रक्रिया।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 57(3)(क) और नियम 58 के अनुसार, जहां कार्यालय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण सरकारी कर्मचारी, जो अधिवर्षिता पर या अन्यथा सेवानिवृत्त होता है, पेंशन प्ररूपों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी के पतिमें अनुपस्थिति की पत्नी/पति या पत्नी/, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र कुटुंब के सदस्य को प्ररूप की करने प्रस्तुत 6 प्ररूप और 4 भी कोई का कुटुंब लिए के करने प्राप्त पेंशन कुटुंब पर होने मृत्यु की कर्मचारी सरकारी यदि सकेगा। दे अनुज्ञा है नहीं पात्र सदस्य, तो कुटुंब के उस सदस्य को, जिसके पक्ष में सरकारी कर्मचारी द्वारा उपदान के भुगतान के लिए नामनिर्देशन किया गया था, उक्त प्ररूपों को प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञा दी जा सकेगी। जहां उक्त प्ररूप पतिहै जाते किए प्रस्तुत द्वारा सदस्य अन्य किसी के कुटुंब या पत्नी/ं, सरकारी कर्मचारी तब तक पेंशन के प्रतिशत को संराशीकृत कराने के लाभ का हकदार नहीं होगा जब तक केंद्रीय सिविल सेवा का पेंशन) (संराशीकरण, नियमावली करता। नहीं आवदेन स्वयं वह में बाद लिए के संराशीकरण ऐसे अनुसार के 1981

3. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 80(5) के साथ पठित नियम 59(2) के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी, जिसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्ररूप जमा किए बिना ही मृत्यु हो जाती है, की बाबत पेंशन, उपदान और कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करने के मामलों पर निम्नलिखित तरीके से कार्रवाई की जाएगी:

(1) कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर मृत सरकारी कर्मचारी के पतिपत्नी/, पतिपर होने न के पत्नी/, कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कुटुंब के किसी अन्य पात्र सदस्य को प्ररूप कर जमा वचनबंध को बैंक में 9 फॉर्मेट और दावा में 10 प्ररूप साथ के 4ने की अनुज्ञा देगा। यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर कुटुंब का कोई सदस्य कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है, तो कुटुंब का ऐसा सदस्य जिसके पक्ष में सरकारी कर्मचारी द्वारा उपदान के संदाय के लिए नामनिर्देशन किया गया था, को प्ररूप स्थान के 10पर प्ररूप जाएगी दी अनुज्ञा की करने जमा 6 होगा। देना विवरण का खाते बैंक अपने में 6 प्ररूप को सदस्य उक्त के कुटुंब और

(2) कार्यालय अध्यक्ष मृत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की बाबत पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान के संदाय के लिए प्ररूप मामला उक्त कि दर्शाएगा भी को आशय इस में 7 प्ररूप वह और भरेगा को 7 ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से संबंधित है, जिसने अपनी मृत्यु से पूर्व प्ररूप 6 और अन्य दस्तावेज जमा नहीं किए थे और यदि कुटुंब पेंशन के लिए प्ररूप गया किया प्रस्तुत दावा कोई में 10 है, तो कार्यालय अध्यक्ष कुटुंब के पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करने के लिए फॉर्मेट में 13 करेगा। जारी भी पत्र संस्वीकृति एक

(3) कार्यालय अध्यक्ष, यथास्थिति, प्ररूप 4, प्ररूप 7, प्ररूप 10 प्ररूप या 6, फॉर्मेट और 9 13 फॉर्मेट(यदि लागू होपेंशन को अधिकारी लेखा साथ के पत्र अग्रेषण एक में 10 फॉर्मेट को (, सेवानिवृत्ति उपदान और कुटुंब पेंशन ,हो लागू यदि ,प्राधिकृत करने के लिए भेजेगा।

(4) लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश के भाग-II में पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान और कुटुंब पेंशन को सदस्य उस के कुटुंब को अध्यक्ष कार्यालय वह और करेगा प्राधिकृत को (हो लागू यदि), जिसको कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, को सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद की तारीख से मृत्यु की तारीख तक की अवधि के लिए पेंशन के बकायों का संदाय करने के लिए भी प्राधिकृत करेगा। यदि कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कुटुंब का कोई सदस्य पात्र नहीं है, तो पेंशन के बकायों का संदाय कुटुंब के उस सदस्य को किया जाएगा जिसे सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(5) यदि कुटुंब के किसी सदस्य को कुटुंब पेंशन प्राधिकृत की गई है, तो लेखा अधिकारी, विशेष प्राधिकार मुहर जारी करने और कुटुंब पेंशन के संवितरण के लिए फॉर्मेट के वचनबंध को बैंक में 9 एक की आदेश संदाय पेंशन साथप्रति केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को अग्रेषित करेगा।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि (i) ऐसा सरकारी कर्मचारी जो किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण पेंशन प्ररूप जमा करने की स्थिति में नहीं है, और (ii) ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्ररूप जमा किए बिना हो जाती है, की बाबत पेंशन/कुटुंब पेंशन के प्राधिकृत करने की प्रक्रिया से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 23310108

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन(मानक सूची के अनुसार)